

न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 78/2024 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा  
जयराम पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम विरासना तहसील जमवारामगढ हाल  
आंधी जिला जयपुर राज०

...प्रार्थी



बनाम

सरकार जरिए राजकीय अधिवक्ता दौसा

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अंतर्गत एफ.आई.आर. नंबर 271/2024 पुलिस थाना सदर दौसा  
जिला दौसा जुर्म धारा अंतर्गत 5, 8 राज० गोवंश अधिनियम 1995

उपस्थित: 1. श्री मदन मोहन बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक: 04.09.2024

- संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा दिनांक 09.07.2024 को 03 गाय व 2 बच्चा गोवंश भरकर ले जा रही पिक अप वाहन संख्या आरजे 14 जीक्यू 8850 को अभियोग संख्या 271/2024 अंतर्गत धारा 5, 8 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा उक्त पिक अप वाहन संख्या आरजे 14 जीक्यू 8850 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना सदर जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
- अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा जुर्म धारा 5, 8, राजस्थान गोवंश अधिनियम के तहत वाहन पिकअप नंबर आरजे 14 जीक्यू 8850 को उक्त जुर्म में जब्त किया गया है। प्रार्थी मुखत्यार आम उक्त वाहन के पंजीकृत स्वामी टीकमचंद पुत्र घनश्याम सैनी निवासी अस्थल तह० जमवारामगढ जिला जयपुर का मुखत्यारआम है एवं उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी मुखत्यारआम का उक्त वाहन पुलिस थाना सदर दौसा में खडा-खडा खराब हो रहा है। उक्त वाहन की पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन के अभाव में आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता है जिसे सुपुर्दगी पर दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का मुखत्यारआम की हैसियत से अधिकारी है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संतुष्टि के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तत्पर एवं तैयार है। उक्त वाहन को पुलिस द्वारा सरासर गलत तरीके से लिप्त किया गया है। प्रार्थी का वाहन किसी भी प्रकार से गोवंश अधिनियम के तहत जब्त करने योग्य नहीं था। क्योंकि प्रार्थी के पास नगर निगम जयपुर हेरिटेज रवन्ना शुल्क रसीद सं० 032 बुक नंबर 248013 जोन एच.एम.ए.जैड. दिनांक 09.07.2024 नाम पशु विक्रेता हटवाडा जयपुर नाम खरीदार जयराम कुम्हार निवासी ग्राम विरासना

जिला कलक्टर, दौसा

जमवारामगढ जयपुर क्र०.सं. 1 पशु का नाम व हुलिया 3 गाय व 02 बच्चा नग 05 दर 100 राशि 500 क.सं. 4 पैडा/ठीया शुल्क राशि 100/- कुल योग राशि 600/- इस हुलिया पशु की कीमत 70,000/- वाहन पिक अप आरजे 14 जीक्यू 8850 दिनांक 9.7.2024 को जारी किया गया है जो कि प्रार्थी के पास था जिसे प्रार्थी द्वारा पुलिस को बताया व दिखाया गया था किन्तु इसके बावजूद भी सरासर गलत तरीके से प्रार्थी के वाहन को जब्त किया गया है। ऐसी दशा में उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा जब्तशुदा पिक अप वाहन संख्या आरजे 14 जीक्यू 8850 को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा पिक अप वाहन संख्या आरजे 14 जीक्यू 8850 को अभियोग संख्या 271/2024 में राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिनांक 27.02.2024 को जब्त किया गया था। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी जयराम द्वारा पेश रसीद/रवन्ना फर्जी व कूटरचित है जिसके संबंध में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाना शेष है। साथ ही अभी तक पुलिस द्वारा अनुसंधान भी पूर्ण नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा गोवंश पशुधन को विधिक रूप से कय किये जाने का कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है। पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा पिक अप वाहन संख्या आरजे 14 जीक्यू 8850 को 05 गो वंश का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। अभी तक पुलिस द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण नहीं किया गया है। यदि प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो पुलिस द्वारा वाहन के अभाव में अनुसंधान समुचित प्रकार से नहीं हो सकेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

5. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय की पत्रावली एवं पुलिस थाना सदर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं न्यायिक दृष्टान्त तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा दिनांक 09.07.2024 को जुर्म धारा 5, 8 राजस्थान गो वंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत पिक अप वाहन संख्या आरजे 14 जीक्यू 8850 में 03 बडी गांयें व दो छोटे बछड़े गोवंश भर कर उक्त गोवंश को संभवतया मेवात ले जा रहे थे, को जब्त किया गया था। पुलिस थाना सदर जिला दौसा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी जयराम द्वारा पेश रसीद/रवन्ना फर्जी व कूटरचित है जिसके संबंध में प्रार्थी से पृथक से अनुसंधान किया जाना साथ ही अभी तक पुलिस द्वारा अनुसंधान भी पूर्ण नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा गोवंश पशुधन को विधिक रूप से कय किये जाने का कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है। गोवंश का अवैध परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं समझते हैं।


6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पुलिस थाना सदर जिला दौसा की मूल केस डायरी निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलक्टर, दौसा



निर्णय आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।



  
(देवेन्द्र कुमार).  
जिला कलेक्टर, दौसा